न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी: सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद (प्रार्थनापत्र) संख्या – 26/2022
प्रविष्टि दिनांक – 16.2.2022

उनवान

1. किशन पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम जगमोहनपुरा पोस्ट बिडोली तहसील निवाई जिला टोंक

–आवेदक वादी

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

विपक्षी

उपस्थित–श्री भंवरलाल तिवारी–वकील वादी
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी

निर्णय

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट दुरूस्त किये जाने रिकार्ड

दिनांक : 30/11/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 237/294 रकबा 19 बिस्वा मे प्रार्थी का हिस्सा 1/133 एवं खसरा नंबर 233 रकबा 19 बिस्वा , खसरा नंबर 234 रकबा 16 बिस्वा, ख.न. 235 रकबा 19 बिस्वा , ख.न. 236 रकबा 4 बिस्वा, ख.न. 268 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा मे प्रार्थी का 1/14 हिस्सा है एवं खसरा नंबर 238 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 238/295 रकबा 18 बिस्वा कुल किता– 2, कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मे प्रार्थी का हिस्सा 1/7 एवं खसरा नंबर 237 रकबा 1 बीघा मे प्रार्थी का हिस्सा 1/140 वाके ग्राम जगमोहनपुरा पटवार हल्का बिडोली तहसील निवाई मे स्थित है जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड बैंक पासबुक आदि मे किशन है, परन्तु राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम कृष्ण अंकित कर दिया गया इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का पूरा नाम रामगोपाल है किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थी का नाम रामधन व प्रार्थी के पिता का नाम जमाबंदी मे उसके पिता का नाम गोपाल कर रखा है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम सही अंकित नही किया गया है। कृष्ण पुत्र गोपाल व किशन पुत्र रामगोपाल एक ही व्यक्ति हैं अतः उक्त भूमि मे प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि मे दर्ज कृष्ण पुत्र गोपाल के स्थान पर किशन पुत्र रामगोपाल दुरूस्त किया जावे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी को सही किया जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड, लाईसेंस, पेन कार्ड, जमाबंदी संवत 2072–75, , आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसमे अंकितानुसार उक्त भूमि कयशुदा भूमि है। उक्त समस्त भूमि विक्रय पत्र से दिनांक 22.7.1999 को क्रय की गई हैं जिसमे वादी का नाम कृष्ण पुत्र गोपाल दर्ज है। वादी का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज है विक्रय पत्र की पालना मे नामान्तरकरण सं0 132 दर्ज किया गया, जिसमे वादी का नाम कृष्ण पुत्र गोपाल ही अंकित हैं और विक्रय पत्र के आधार पर कृष्ण पुत्र गोपाल अंकित किया गया

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

है। वादी के अन्य दस्तावेजो मे किशन पुत्र रामगोपाल दर्ज है, जिसके संबंध मे मजमेआम मे जानकारी करने पर बताया कि कृष्ण व किशन पि. गोपाल /रामगोपाल एक ही व्यक्ति है जो वादी है। अतः कृष्ण पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण के स्थान पर किशन पुत्र रामगोपाल अंकित किया जाना न्यायसंगत है।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे नामान्तरकरण सं0 132, जमाबंदी, विक्रय पत्र प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे मौका पर्चा के अनुसार बोलचाल की भाषा मे किशन पुत्र रामगोपाल के स्थान पर कृष्ण पुत्र गोपाल होना बताया।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों के परीक्षण मे पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण एवं विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र मे अंकितानुसार ही वादी के नाम का नामान्तरकरण मे अंकन किया गया है ओर नामान्तरकरण के अनुसार ही जमाबंदी मे इन्द्राज किया गया है। विक्रय पत्र मे अंकितनुसार जिसमे प्रार्थी के भाई जो कि विवादित भूमि मे सहखातेदार कैलाश हरि किशोर, रामस्वरूप रामधन कमलेश पि0 गोपाल के रूप मे अंकित है, जिनके पिता का नाम भी गोपाल ही अंकित है लेकिन प्रकरण मे अन्य भाईयो सहखातेदार पक्षकार नही है। यदि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामगोपाल है तो सभी भाईयो के पिता का नाम रामगोपाल होना चाहिए। लेकिन अन्य सहखातेदारो द्वारा वाद पत्र मे पक्षकार के रूप मे कोई अधियाचना नही की गई है। प्रार्थनापत्र मे अंकितानुसार तथाकथित त्रुटि के संबध मे पत्रावली पर विक्रय पत्र भी उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे यह अंकित किया गया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम कृष्ण गलत अंकित कर दिया तथा प्रार्थी के पिता का नाम रामगोपाल के स्थान पर गोपाल अंकित कर दिया। लेकिन उक्त त्रुटि कहां व किस प्रकार व कब हुई है यह किसी भी साक्ष्य से स्पष्ट नही हो पा रहा है। प्रार्थनापत्र के तथ्यो के विपरीत पैरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि विक्रय पत्र से क्रय की गई है जिसका नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर ही भरा गया है। अर्थात राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई त्रुटि नही की गई है। उक्त विवेचन से तो स्पष्ट है कि त्रुटि विक्रय पत्र मे हुई है जिसमे संशोधन का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नही है। अतः साक्ष्य दस्तावेज के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत खसरा नंबर 237/294, कुल किता–1, कुल रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 233, खसरा नंबर 234 ख.न. 235, ख.न. 236, ख.न. 268 कुल किता–5 कुल रकबा 5 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 238, खसरा नंबर 238/295 कुल किता– 2, कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मे खसरा नंबर 237 कुल किता–1, कुल रकबा 1 बीघा वाके ग्राम जगमोहनपुरा पटवार हल्का बीडोली, तहसील निवाई जिला टोंक विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 30/11/25 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हिरोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई